संख्या-43/2019/721/26-3-2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 12 फरवरी 2019

विषय: **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संचालित ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-379/25ए/ज.जा.वि./ कौ0वि0/2018-19, दिनांक-05.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-01/2019/4312/26-3-2018, दिनांक-01.01.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संचालित पाकेट प्लान तथा प्रीमिटिव ग्रुप के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन, बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना नजीबाबाद, बिजनौर को अनुदान तथा बिखरी आबादी वाली जनजातियों का कल्याण योजनाओं में स्वीकृत की गयी कुल रू0-98.68273 लाख की धनराशि को अलग-अलग योजनाओं में मानकमदवार फाट निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-01/ 2019/4312/26-3-2018, दिनांक-01.01.2019 के प्रस्तर-1 में अंकित" प्राविधानित धनराशि रू0-197.54 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रू0-98.68273 लाख" के स्थान पर "बजट प्राविधान रू0-197.54 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-98.68273 लाख" अंकित पढ़ा जाय। उक्त स्वीकृत की गयी कुल धनराशि **रू0-98.68273 लाख (रू0-अठ्ठान्वे लाख अड़सठ हजार दौ सौ तिहत्तर मात्र)** का निम्नवत् अंकित विवरण के अनुसार योजनावार/मदवार फाट किया जाता है, जिसे उक्त शासनादेश दिनांक-01.01.2019 के प्रस्तर-1 के नीचे अंकित पढ़ा एवं समझा जायः-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान संख्या-81	**बजट प्राविधान**	**स्वीकृत धनराशि**
2225-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-05-पाकेट प्लान तथा प्रीमिटिव ग्रुप के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन (के.100/रा0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	94.34	47.13764
06-बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना, नजीबाबाद, बिजनौर (के.100/रा0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	13.20	6.55791
07-बिखरी आबादी वाली जनजातियों का कल्याण (के.100/रा0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	90.00	44.98718
कुल-	**197.54**	**98.68273**

(रूपये-अठ्ठान्वे लाख अड़सठ हजार दो सौ तिहत्तर मात्र)

3- उक्त शासनादेश संख्या-01/2019/4312/26-3-2018, दिनांक-01.01.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक-01.01.2019 की शेष शर्ते व प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0संख्या-43/2019/721(1)/26-3-2019-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-4, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. गार्डफाइल।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।